न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए/54/2015

उनवान

1. सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, माण्डलगढ तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

अपीलार्थी

बनाम

1. कान सिंह पुत्र किशन सिंह राजपूत निवासी बदनपुरा तहसील माण्डल, जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश, भीलवाडा
3. भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) माण्डलगढ, जिला भीलवाडा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) माण्डलगढ

———रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ के प्रकरण संख्या 20/2001 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.10.2005

अभिभाषक : 1. श्री ओम प्रकाश सोनी , अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री अमित कोठारी, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1

आदेश

दिनांक 27.2.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बदनपुरा तहसील माण्डलगढ में वादी की खातेदारी में दर्ज आराजियात कृषि

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भूमि आराजी नम्बर 5/1 रकबा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 19/1 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 20/1 रकबा 18 बिस्वा, आराजी नम्बर 21/1 रकबा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 22/1 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 25/1 रकबा 9 बिस्वा, आराजी नम्बर 26/1 रकबा 1 बिस्वा, आराजी नम्बर 27/1 रकबा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 95/1 रकबा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 96/1 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 202/1 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा , आराजी नम्बर 8/1 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, आराजी नम्बर 244/94 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 14 कुल रकबा 30 बीधा 16 बिस्वा जो कि जरिये सिंचाई विभाग के नाम नामान्तरकरण संख्या 37 दिनांक 22.11.78 से अभिलिखित हो गई। उक्त भूमि वादी की खातेदारी की भूमि थी जिसका सिंचाई विभाग ने वादी को किसी प्रकार के मुआवजे का भुगतान नहीं किया एवं भूमि के बदले भूमि भी वादी को प्रदत्त नहीं की । वादी ने अपनी खातेदारी की भूमि सिंचाई विभाग के नाम दर्ज होने पर भूमि के बदले भूमि या भूमि का मुआवजा देने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को कहा गया । साथ ही उनके द्वारा मुआवजे की राशि अथवा भूमि के बदले भूमि देने में असमर्थता की स्थिति में वादी की अवाप्त की गई भूमि को वापस वादी के खातेदारी अधिकार में अभिलिखित किये जाने हेतु कहा जाता रहा है। वादी की भूमि बिना प्रतिवादीगण एक से चार द्वारा प्रतिफल अदा किये बिना ही अवाप्त कर ली एवं वादी को उसकी भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित किया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा अपनी जैतपुरा बांध सिंचाई परियोजना पूर्ण करने के लिए बिना किसी राशि अथवा भूमि के बदले भूमि दिए वादी की खातेदारी भूमि को परियोजना पूरी करने के उद्धेश्य से प्राप्त

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

किया गया । अतः वादग्रस्त आराजियात जो कि प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 4 के कब्जे में है का कब्जा हटाया जाकर कब्जा वादी को दिलाया जावे एवं वादग्रस्त आराजियात का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। विकल्प में वादी भूमि के बदले भूमि लेने के लिए सहमत है।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री द्वारा वादी का वाद पत्र आंशिक स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को निर्देशित किया प्रतिवादी संख्या 3 व 4 इस तथ्य की जांच करें कि वादी ने वादग्रस्त आराजियात स्वेच्छा से सिंचाई विभाग के हक में छोडी है या नहीं । यदि वादी ने वादग्रस्त भूमि स्वेच्छा से सिंचाई विभाग के पक्ष में नहीं छोडी हो तो यदि वादी नियमानुसार मुआवजा प्राप्त करने का हकदार है तो उसे नियमानुसार अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, भीलवाडा एवं सहायक अभियन्ता सिंचाई विभाग, भीलवाडा भुगतान करने की कार्यवाही करें। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थीगण की अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया। अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भावी एवं संतोषप्रद होने से अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

5. अपीलार्थीगण/विपक्षीगण के योग्य अधिवक्ता का कथन है कि प्रत्यर्थी/वादी ने वादग्रस्त भूमि सिंचाई विभाग के हक में स्वेच्छा से छोडी है एवं कब्जा देने के उपरान्त ही सिंचाई विभाग ने नहर का निर्माण करवाया है। स्वेच्छा से वादग्रस्त भूमि वादी द्वारा सिंचाई विभाग के हक में छोडने के उपरान्त ही सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए लाखों रूपये खर्च कर नहर का निर्माण किया गया है। अब प्रत्यर्थी संख्या 1 के मन में फितुर आ जाने से झूठा वाद पत्र प्रस्तुत किया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद आंशिक तौर पर स्वीकार किया है जो विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 ने जिस विषयवस्तु के लिए वाद प्रस्तुत किया उस सबंध में बनाई गई तनकी वादी के पक्ष में साबित नहीं हुई है। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि जेतपुरा बांध का निर्माण वर्ष 1965–66 से ही प्रारंभ हो गया था उस समय बांध व नहर में करीब 250 बीघा जमीन अवाप्त की गई। जो भूमि जंगलात में होकर किसी प्रकार की फसल काश्त नहीं की हुई थी। उक्त भूमि में फसल काश्त करने व खेतों को खुशहाल बनाने के लिए अपनी स्वेच्छा से काश्तकारों ने अपनी खातेदारी की भूमि तत्कालीन समय में सिंचाई विभाग को दी थी। उस समय किसी भी काश्तकार ने कोई आपत्ति नहीं की थी। अब 50 वर्ष बाद वादी के मन में फितुर पैदा हो गया है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

भू. प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1/वादी की खातेदारी की कुल 30 बीघा 16 बिस्वा भूमि में से 18 बीघा 11 बिस्वा भूमि नहर हेतु सिंचाई विभाग के नाम पर दर्ज की गई थी। जिसमें से केवल मात्र 8 बीघा भूमि पर ही सिंचाई विभाग की नहर का निर्माण किया गया है लगभग 10 बीघा 11 बिस्वा भूमि नोर्म्स के अनुसार नहर के दोनों तरफ 50–50 फीट के रूप में खाली पडी हुई है। जिस पर भी रेस्पाडेण्ट का अवैध अतिक्रमण है जिसका वह उपयोग–उपभोग कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जांच किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे। प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजियात का खातेदार वादी था । उक्त भूमि को प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने सिंचाई विभाग के हक में स्वेच्छा से नहीं छोडी है। वादग्रस्त भूमि को अवाप्त की गई है जिसके फलस्वरूप प्रत्यर्थी/वादी को अपीलार्थीगण द्वारा किसी प्रकार की मुआवजे की राशि की अदायगी नहीं की गई है। न ही भूमि के बदले भूमि प्रदत्त की गई है। इस हेतु प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने अपीलार्थीगण के कई चक्कर लगाये तो उन्होनें वाद प्रस्तुत करने के लिए कहा। अधीनस्थ न्यायालय मे वादी ने वादग्रस्त आराजी में अपीलार्थीगण का नाम हटाया जाकर वादी के हक में खातेदारी प्रदान किये जाने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र आंशिक स्वीकार कर जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे। अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपने तर्को की पुष्टि में न्यायिक उद्धरण आर आर टी 2012 (2) पेज 1431, आर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आर डी 14.2.2017 रामस्नेही बनाम दुर्गावती वगैरह प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

9. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । वादग्रस्त आराजियात का प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी तत्कालीन समय में खातेदार था । उक्त वादग्रस्त भूमि जेतपुरा बांध बनाने हेतु प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी के खाते से सिंचाई विभाग के नाम नामान्तरकरण संख्या 37 दिनांक 22.11.78 से अभिखित की गई। वादी का कथन है कि वादी की भूमि के बदले वादी को किसी प्रकार की मुआवजे राशि का भुगतान नहीं किया गया है एवं न ही भूमि के बदले भूमि दी गई है। जबकि अपील में अपीलार्थी ने कथन किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने सिंचाई विभाग के हक में स्वेच्छा से जमीन छोडकर कब्जा सिंचाई विभाग को दिया है।

10. अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में चल रही हकरसी की सम्पूर्ण पत्रावली की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है। जिसका अवलोकन किया गया । जिसका अवलोकन किया गया । इसमें सिंचाई विभाग के अधिशाषी अभियन्ता , जल संसाधन खण्ड द्वितीय, भीलवाडा द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता , जल संशाधन संभाग , उदयपुर को न्यायालय के निर्णय की पालना में मुआवजे की राशि के भुगतान हेतु बजट आवंटन हेतु लिखा गया है। सहायक अभियन्ता , जल संसाधन उप खण्ड प्रथम माण्डलगढ द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय को 3 बार पत्र प्रेषित कर जेतपुरा बांध मं आई भूमि के मुआवजे भुगतान व अन्य दस्तावेजों की जांच एवं बजट मंगवाने हेतु उच्च अधिकारियों से निवेदन किये जाने का तथ्य अंकित करते हुए प्रकरण में 2 माह का समय लगने का निवेदन किया है। साथ ही अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

द्वितीय,भीलवाडा द्वारा उपखण्ड अधिकारी , माण्डलगढ को अपने पत्रांक लेखा–III/2012/917 दिनांक 3.2.22012 भेजकर अंकित किया है कि'' भूमि अवाप्ति की कार्यवाही एवं किये गये भुगतान लगभग विगत 33–34 वर्ष पुराना है तथा तत्कालीन मेजा फीडर खण्ड भीलवाडा भी वर्ष 1990 में समाप्त हो जाने पर उनके द्वारा चार्ज जल संसाधन खण्ड प्रथम भीलवाडा को हस्तान्तरित किया गया , ऐसी स्थिति में रेकार्ड को तलाश करने हेतु टीम गठित की है। अतः उक्त स्थिति को ध्यान मे रखते हुए लगभग तीन माह का अतिरिक्त समय दिलाने हेतु श्रम करावे।''

11. चूंकि वादग्रस्त आराजियात को प्रत्यर्थी/वादी ने स्वेच्छा से सिंचाई विभाग के हक में छोडने की बात को अस्वीकार किया है। अपील में भी अपीलार्थी द्वारा स्वेच्छा से भूमि छोडने का अंकन तो किया है, परन्तु इसके समर्थन में कोई लिखित सहमति प्रस्तुत नहीं कर पाये हैं। वादग्रस्त भूमि के बदले वादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 को न तो मुआवजा दिया गया है एवं न ही भूमि के बदले भूमि प्रदान की गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण निर्णय में अंकित किया है कि रेकार्ड से जांच करें कि वादी ने वादग्रस्त आराजियात स्वेच्छा से सिंचाई विभाग के हक में छोडी है या नहीं । यदि वादी ने वादग्रस्त भूमि स्वेच्छा से सिंचाई विभाग के पक्ष में नहीं छोडी हो तो नियमानुसार कार्यवाही कर प्रतिवादी संख्या 3 व 4 नियमानुसार वादी को भुगतान करने की कार्यवाही किये जाने का निर्देश देते हुए वादी का वाद पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया है जो विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

12. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.10.2005 को यथावत रखा जाता है । पर्चा डिक्री मूर्तिब की जावे।

13. निर्णय आज दिनांक 27.2.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

27/2/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री निमिषा गुप्ता,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 54 / 2015

उनवान

1. सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, माण्डलगढ तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

अपीलार्थी

बनाम

1. कान सिंह पुत्र किशन सिंह राजपूत निवासी बदनपुरा तहसील माण्डल, जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश, भीलवाडा
3. भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) माण्डलगढ, जिला भीलवाडा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) माण्डलगढ

———रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ के प्रकरण संख्या 20 / 2001 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.10.2005

अभिभाषक : 1. श्री ओम प्रकाश सोनी , अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री अमित कोठारी, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए / 54 / 2015** मे **उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ** आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डि्क्री जारी की जाती हैः–

यह अपील तारीख 27.2.2018 को अपीलाण्ट की ओर से श्री ओम प्रकाश सोनी वकील एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से श्री अमित कोठारी की उपस्थिति मे दिनांक 27.2.2018 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.10.2005 को यथावत रखा जाता है ।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 27.2.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

27/2/18

(निमिषा गुप्ता)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट

1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट

1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस